रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052023-245632
CG-DL-E-03052023-245632

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945
No. 270] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/VAISAKHA 13, 1945

## आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

## (मुद्रण निदेशालय)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

**सा.का.नि 340(अ).—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्कालीन शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार मुद्रणालय और शाखा (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2003 को जहां तक कि उनका संबंध साधारण भण्डारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार मुद्रणालय तथा शाखा में भंडार पर्यवेक्षक श्रेणी-I के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् : -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भंडार पर्यवेक्षक श्रेणी-1, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय भारत सरकार मुद्रणालय और शाखा भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर—**पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि–** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता** – वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है;

इन नियमों के अधीन पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकारों के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शाक्ति** –जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृति**– इन नियमो की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचि जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| **पद का नाम।** | **पदों की संख्या।** | **वर्गीकरण।** | **वेतन मैट्रिक्स में स्तर।** | **चयन पद या अचयन पद।** | **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| भंडार पर्यवेक्षक श्रेणी-I | पाँच (05)* (2023 )<br><br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ख'), अराजपत्रित, अनुसचिवीय। | स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

| **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।** | **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में भी लागू होंगी या नहीं।** | **परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो ।** |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

| भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में तो वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। |
|---|---|
| 10 | 11 |
| प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) | प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):<br>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी और स्वाशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी:<br>(क) (i)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;<br>या<br>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29,200- 92,300 रुपए) या समतुल्य में उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की है; और<br>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों :<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसाय अध्ययन या लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि। |

| | |
|---|---|
| | (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कानूनी या स्वाशासी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के किसी भंडार या प्रतिष्ठान में भंडार संभालने तथा भंडार के लेखा के रखरखाव का एक वर्ष का अनुभव।<br>या<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसाय अध्ययन या लोक प्रशासन में स्नातक।<br>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन या भांडागारण प्रबंधन या क्रय या संभार-तंत्र या सरकारी खरीद में डिप्लोमा; तथा<br>(iii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन /मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/ कानूनी या स्वाशासी संगठन के किसी भंडार या प्रतिष्ठान में भंडार संभालने और भंडार के लेखों के रखरखाव में दो वर्ष का अनुभव।<br>**टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण 2:** - प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सेवा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|
| 12 | 13 |
| लागू नहीं होता । | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

[फ़ा. सं. 22/2/2012–प्र I (भाग 1)

सतिंदर पाल सिंह, अपर सचिव

**MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**

**(Directorate of Printing)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd May, 2023

**G.S.R. 340(E).—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the erstwhile Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Directorate of Printing, Government of India Presses and Branches (Group ‘C’ and Group ‘D’ Posts) Recruitment Rules, 2003, in so far as it relates to the post of General Store Keeper, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Store Supervisor Grade-I in the Government of India Presses and Branches under the administrative control of, Directorate of Printing, Ministry of Housing and Urban Affairs, namely:-

**1. Short Title and Commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Housing and Urban Affairs, Directorate of Printing, Government of India Presses and Branches, Store Supervisor Grade-I Recruitment Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and level in pay matrix. –** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications etc. –** The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification**. – No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the posts under these rules:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons for recruitment under these rules.

**6. Saving .–** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| **Name of thePost.** | **Number of Post.** | **Classification.** | **Level in the pay matrix.** | **Whether selection or non-selection.** | **Age –limit for direct recruit.** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Store Supervisor Grade-I | Five (5)<br>(2023)<br>(Subject to variation dependent on workload.) | General Central Service<br>(Group 'B'),<br>Non-Gazetted,<br>Ministerial. | Level 6<br>(Rs. 35400-112400). | Not applicable. | Not applicable. |

| **Educational and other qualifications required for direct recruits.** | **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.** | **Period of probation, if any.** |
|---|---|---|
| (7) | (8) | **(9)** |
| Not applicable. | Not applicable. | Not Applicable |

| **Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.** | **In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, deputation or absorption to be made.** |
|---|---|
| **(10)** | **(11)** |
| By deputation<br>(including short-term contract). | <u>**Deputation**</u> (including short-term contract):<br>Officers of the Central Government or State Government/Union territory administrations or recognised research institutions or Universities or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations:<br>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or<br>(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the level-5 (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and |

| | |
|---|---|
| | (B) possessing the following educational Qualification and experience:<br>(i) Master's Degree with Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a recognised University or Institute; and<br>(ii) one year experience in handling stores and keeping accounts in store or in a concern of Central Government or State Government or Union territory administration or statutory or autonomous organisation or public sector undertaking or universities or recognised research institution;<br>OR<br>(i) Bachelor's degree in Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or public administration as a subject from a recognised University or Institute;<br>(ii) Diploma in Materials Management or Warehousing Management or Purchasing or Logistics or Public Procurement from recognised University or Institute; and<br>(iii) two years experience in handling stores and keeping accounts in a store or a concern of Central Government or State Government or Union territory administration or recognised research Institutions or Universities or public sector undertakings or Statutory or autonomous organisation<br>**Note 1:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.<br>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contact) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. |

| **If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.** | **Circumstances in which Union Public Service ommission to be consulted in making recruitment.** |
|---|---|
| **(12)** | **(13)** |
| Not Applicable | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

[F. No. 22/2/2012-A.I (Pt.I)]

SATINDER PAL SINGH, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2023.05.03 21:12:33 +05'30'